

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रामचन्द्र

बनाम

मोहनलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 200/2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/06/23

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती

रामचन्द्र - मोहनलाल

पिता श्री

फाना जी दागी

निवासी-

मायरा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

मायरा (पहले अरुनिप्रापेय) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 22

कुल कीता

1

कुल रकबा

0.2600

है 0 की पत्थरगढी

कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम

मायरा (पहले अरुनिप्रापेय)

स्थित खातेदारी की भूमि आराजी

नम्बर

22

कुल कीता

1

रकबा

0.2600

है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी

किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500-00 रुपये अक्षरे पत्थर लो रूपर प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(रामचन्द्र खटीक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़